

18/03/25 पतावली पक्षी कुरी न्यायलय एजा के प्रकरण सं. 238
सं. 2025 मजबूत अख्त प/5 राज. सरकार अंतर्गत था।
136 में परिवर्तन निवेदन दि. 02/03/2025 द्वारा निर्दिष्ट किया
जा चुका है साथी वारा मिरा के नाम को सुद्ध
करने हेतु यह मा. पर संशुद्ध किया गया है जिससे

यात्रात्मक एका द्वारा निर्णय दि. 2/11/2025 द्वारा
अल्प पत्रावली में निर्णय किया जा चुका है जिसमें
प्रश्नगत खर्च 9 चाटा गया अक्षतोप समाप्त ही है
अतः इस यात्रा का शेष कोर् में बिल नही
है इसलिए यह यात्रा खारिज किया जाता है
पत्रावली में सलाह शुभारंभ करके से काम की
जाकर वापिस रफ्तार हो.

Layenda